संख्या-39/2021/441/71-3-2021-एनएम-10/2019टीसी

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर हेतु मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) एवं 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/195, दिनॉक 03.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर हेतु मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में रू0 450.00 लाख एवं 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद रू0 250.00 अर्थात् कुल रू0 700.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष के अंतर्गत 87-मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल **रू0 620.00 लाख (रू0 छः करोड़ बीस लाख मात्र)** की सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित धनराशि को व्यय किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0385-मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-39/2021/441(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिहं)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।